HPFD-F05/287/2025-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड, लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश़–1710001

दिनांक ि ामला–1

विषयः **Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या FC/HPB/06/69/2022 दिनांक 28/03/2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2ण परियोजना के लिए आव यक गैर–वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3ण **प्रतिपूरक वनीकरणः**
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध–रोपण किया जाएगा। इसकी लागत रा ाी कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेद ाी प्रजातियों को लगाया जाएगा। सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि को अतिम स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के नाम किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) सी0ए0 क्षेत्र की सही जानकारी वनमण्डलाधिकारी के पत्र में द ाई गई है।

(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतू आव यक धनरा ाी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई है।

4ण **भुद्व वर्तमान मूल्यः**
क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दि ाा निर्दे ाों के अनुसार भुद्व वर्तमान मूल्य की रा ाी Adhoc CAMPA में जमा करवा दी गई है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) ाुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराि ा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

5ण राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदे ा दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदे ा में यह भी स्पष्ट किया है कि ने ानल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओद ा लागू नहीं होगा।

6ण The Kml file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards liner projects. Undertaking in this regard is attached with the compliance report of UA.

7ण FRA Certificate along with all prescribed annexure including all records of consultaions and meetings with Gram Sabha(s) and FRC(s) of concerned villages shall be submitted before Stage-II (final) approval.

8ए The user agency has deposited the amount of SMCP in view of the guidelines issued by the Ministry on 07.06.2022.

9ए एफ0आर0ए0 पूर्ण अनुलग्नकों के साथ upload कर दिया गया है।

10ए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तवित क्षेत्र के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर जंहा भी सम्भव होगा अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को रोपित किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

11ए संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रों में नि चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियन साइनेज लगाए जाऐंगे। इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

12ए प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई की न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की गई है।

13ए इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम को लक्षित किया जाएगा। इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

14ए आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

15ए परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए है।

16ए प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आव यकता नहीं है।

17ए केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

18ए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक ि ाविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।

19ए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।

20ए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दे ाानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

21ए परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदंर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

22ए वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

23ए केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

24ए बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

25ए इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

26ए यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे ा/अनुदे ा आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

27ए अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

28ए इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 20-12-2025 14:39:35

नोडल आफिसर एवं प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0